बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

का0आ0 :– 3/अ0प्र0–1–184/2020(खण्ड–VI) 2408 /पटना, दिनांक :– 5.9.24

श्री अशोक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, बेतिया में पदस्थापन अवधि से संबंधित निम्नलिखित दो मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गयी:–

(i) कार्य प्रमंडल, बेतिया अन्तर्गत सात वर्षों की लेखा पुस्तिकाओं एवं समव्यवहारों की कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–1 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में पायी गयी अनियमितताओं के लिए आरोप पत्र गठित कर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि मामले में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है, किन्तु बिहार वित्त नियमावली के नियमों के अनुरूप रोकड़बही के लेखांकन में सम्पूर्ण रूप से प्रक्रियाओं को पालन नहीं किया गया है।

(ii) एम0आर0–(3054) योजनान्तर्गत आवंटित निविदा MR-N19-20 Bettiah/17 के मामले में मुख्य अभियंता–3 की अध्यक्षता में दिनांक 06.11.2019 को हुई तकनीकी समीति की बैठक में वित्तीय बीड विभागीय निदेशों के उपरान्त ही खोलने का निदेश दिया गया था। इस संदर्भ में प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया का पत्रांक–1433 दिनांक 18.12.2019 द्वारा कंडिकावार जाँच प्रतिवेदन सौपने तथा परिवाद के निष्पादन होने तक वित्तीय बीड खोलने की कार्रवाई को स्थगित रखने का निदेश दिया गया। श्री सिंह द्वारा स–समय जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के कारण विषयांकित जाँच श्री संजय कुमार, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया द्वारा किया गया, जिसमें निविदाकार श्री राजु कुमार सिंह का भुगतान प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं ऑडिट रिपोर्ट गलत पाया गया।

इस प्रकार श्री राजु कुमार सिंह द्वारा समर्पित बीड से संबंधित कागजातों का सूक्ष्म अवलोकन नहीं किये जाने के कारण श्री राजु कुमार सिंह को तकनीकी बीड में योग्य घोषित किया गया। बाद में इस संदर्भ में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री राजु कमार सिंह को कालीकृत किया गया। विभागीय निदेश के बावजूद भी वित्तीय बीड को खोले जाने संबंधी मामला में श्री सिंह को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

2. श्री अशोक सिंह का दिनांक 30.06.2023 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध उपर्युक्त दोनों मामलो को समाहित करते हुए बिहार पेंशन नियमवाली के नियम–139 के तहत उनसे कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक–2248 अनु0 दिनांक 07.08.2024 द्वारा श्री सिंह से कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री सिंह द्वारा पत्रांक–01 दिनांक 12.08.2024 के माध्यम से अपना बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसकी विभागीय समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त उसे स्वीकार योग्य पाया गया है।

कृ0पृ0उ0

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

4. अतः श्री अशोक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा समर्पित बचाव बयान को स्वीकृत करते हुए उन्हें प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

5/9/24

(डा0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–184/2020(खण्ड–VI) 2408 /पटना, दिनांक :– 5-9-24
प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/9/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:– 3/अ0प्र0–1–184/2020(खण्ड–VI) 2408 /पटना, दिनांक :– 5-9-24
प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–सह– अपर–आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया/भागलपुर/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया/कहलगॉंव एवं प्रशाखा पदाधिकारी –6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/9/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–184/2020(खण्ड–VI) 2408 /पटना, दिनांक :– 5-9-24
प्रतिलिपि:– श्री अशोक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त, पत्राचार का पताः–मकान संख्या–08, रोड न0–4, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–बुद्धा कॉलोनी, जिला–पटना, पिनकोड–800001 को सूचनार्थ प्रेषित।

5/9/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:– 3/अ0प्र0–1–184/2020(खण्ड–VI) 2408 /पटना, दिनांक :– 5-9-24
प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/24
संयुक्त सचिव